मुन्तकिली प्रकरण सं0 20/2019 (RCMS 2019/00035) अनवानी 1. गुमानाराम पुत्र बिशनाराम 2. भागीरथ पुत्र पुरखाराम 3. विनोद कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. बुधदेवी पत्नि शंकर 2. नारायणराम 3. कालूराम 4. मदन लाल 5. भागोबाई 6. लिछमाबाई 7. पानोबाई 8. मोहनी बाई पिसरान शंकरराम जाति मेघवाल निवासी 6 एम.एस. आर., तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.05.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिह उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि चक 6 एम एस आर मुरब्बा नम्बर 334/431 में 24.10 बीघा व 34/432 की 23.10 बीघा कुल 48 बीघा भूमि माफी कोटवाल 1931 से जो कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजों को दी हुई थी तब से लेकर आज तक उनका कब्जा चला आ रहा है, और उससे सम्बन्धित मुकद्दमा अन्तर्गत धारा 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां अपील पेश की थी और राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 09.12.2015 से उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को रिमाण्ड किया था जो कि मूल रूप से प्रकरण संख्या 82/2010 अनवानी गुमानाराम बनाम बुधादेवी वगैरा अन्तर्गत 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के रूप में दर्ज होकर विचाराधीन है।

उनका आगे कथन है कि मौजूदा वाद उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में जो कि लम्बित है और तारीख पेशी 06.01.2019 पर जब प्रार्थी अदालत में हाजिर आया तो रेस्पोडेंट का लड़का कालूराम अदालत से निकलता हुआ मिला और उसने प्रार्थीगण को इजलास में कहा कि कहीं मर्जी भाग लो फैसला तो मेरे हक में ही होगा और जब प्रार्थीगण ने उक्त बात अपने वकील को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बताई तो छानबीन करने पर पता चला कि उक्त व्यक्ति कालूराम जो कि बुधा देवी अप्रार्थियां का लड़का है और तहसीलदार, अनूपगढ का ड्राईवर है जिसे उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के घर आते जाते देखा है और उसके दो दिन बाद फिर कालूराम अदालत में मिला तो कहने लगा कि मैं तहसीलदार का ड्राईवर हूँ और मैनें उपखण्ड अधिकारी को कहलवा दिया है इसलिए मुकदमे का फैसला तो उनके पक्ष में ही होगा। इसलिए प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि गत पेशी पर प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र 2016 से पैण्डिग है, उसका निर्णय करें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न कर यह कहा कि मैं इसी हफ्ते ही निर्णय कर दूंगा और इससे आगे तारीख नहीं दूंगा। अधीनस्थ न्यायालय के इस एटीट्यूट से प्रार्थी को यह पक्का विश्वास हो गया कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल किया जावे।

मैने प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया और मुंतकित प्रार्थना पत्र तथा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 07.02.2019 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 82/2010 अनवानी गुमानाराम बनाम बुधादेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना को लेकर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2019 को पेश किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा लगाया गया यह आरोप कि धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र 2016 से पैण्डिंग

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चला आ रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा निर्णय नहीं किया जाकर अन्तिम रूप से निस्तारण करने पर उतारू है और कालूराम जो कि अप्रार्थिया बुधादेवी का पुत्र है और तहसीलदार, अनूपगढ का ड्राईवर है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ उसके प्रभाव में है इसलिए उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने पत्र दिनांक 07.02.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर टिप्पणी करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन किया है और यह भी अंकित किया है कि **प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2018 को ही स्वीकार किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा टिप्पणी के साथ पेश की गई न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 27.06.2018 में पारित निर्णय से भी होती है** जबकि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2019 में धारा 144 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण न करना बताया **है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण न करने सम्बन्धी आरोप सही नहीं हैं क्योंकि मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लगभग छः माह पहले ही उक्त कथित धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो चुका था। इसलिए मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।**

दूसरा आरोप कि कालूराम जो कि तहसीलदार, अनूपगढ का ड्राईवर है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ उसके प्रभाव में है, जो मुकदमा मुंतकिली का ठोस आधार नहीं बनाता है और ऐसा आरोप कभी भी किसी पर भी लगाया जा सकता हैं। कालूराम, ड्राईवर एक साधारण व्यक्ति है और उसका उपखण्ड अधिकारी पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव या दबाव होना स्वीकार करने योग्य नही है। **यह आरोप केवल मात्र प्रकरण को लम्बित करने की दृष्टि से ही लगाया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट दिनांक 13.06.2018 के अवलोकन से यह भी पाया कि पूर्व में भी प्रार्थीगण द्वारा इसी प्रकरण को अन्यत्र**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सक्षम न्यायालय मे मुंतकिल किये जाने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया था जो प्रकरण संख्या 46/2018 के रूप में दर्ज होकर आधारहीन होने के कारण दिनांक 28.05.2018 को खारिज किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से ही बार–बार आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। इसलिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी गुमानाराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर